

154

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र0 10/उ0न्या0-17/2017

1641

खाद्य, पटना/दिनांक- 17/04/2020

प्रेषक,

दयानन्द मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।
उप महाप्रबंधक, (क्रय एवं विधि),
बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना ।

विषय :-

SLP(Cr.) No. 1779/2016 बिहार सरकार बनाम दिवेश कुमार चौधरी एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक- 28.02.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि धान अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित प्रमादी मिलरों के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा कतिपय प्राथमिकी दर्ज कराया गया है । उल्लेखनीय है कि एक समरूप मामले SLP(Cr.) No. 1779/2016 बिहार सरकार बनाम दिवेश कुमार चौधरी एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक- 28.02.2017 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रमादी मिलरों के विरुद्ध लम्बित वार्दों में संबंधित जिलों के विशेष न्यायालयों में ससमय पैरवी/साक्ष्य उपलब्ध कराने Bail Cancellation के उपरान्त वारंट निर्गमन एवं जिन प्रमादी मिलरों द्वारा Deed of Pledge समर्पित किया गया है, उनकी सम्पत्ति की निलामी हेतु त्वरित कार्रवाई करने हेतु सभी जिलों में गृह विभाग अभियोजन निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या- 54/2020 सह पठित ज्ञापांक- 604 दिनांक- 19.03.2020 द्वारा एक-एक सहायक अभियोजन पदाधिकारी नामित किया गया है ।

अतः उपरोक्त आदेश की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि आदेश में अंकित निदेशों के आलोक में त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0 10/उ0न्या0-17/2017

1641

खाद्य, पटना/दिनांक- 17/04/2020

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

(153

कार्यालय आदेश संख्या.....57...../2020

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा धान अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में प्रमादी मिलरों के विरुद्ध कतिपय प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जो राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में ट्रायल के लिए लंबित है।

2. उपर्युक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अपील वाद संख्या SLP(Cr 1779/2016) बिहार सरकार एवं अन्य बनाम दिनेश कुमार चौधरी एवं अन्य समरूप वादों में दिये गये न्यायादेशों के अनुपालन के क्रम में जिला के लिए विशेष न्यायालयों में पैरवी एवं ससमय साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराने तथा जमानत रद्दीकरण के उपरान्त वारंट निर्गमन एवं जिन प्रमादी मिलरों द्वारा Deed of Pledge समर्पित किया गया है, उनकी सम्पत्ति की निलामी हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों में एक-एक सहायक अभियोजन पदाधिकारी को नामित करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदालोक में कॉलम-02 में अंकित जिला के सामने अंकित कॉलम-03 के सहायक अभियोजन पदाधिकारी को उस जिला के प्रमादी मिलरों से सम्बन्धित वादों के संचालन हेतु नामित किया जाता है:-

क्र0	जिला का नाम	नामित सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम/वर्तमान पदस्थापन
1.	2.	3.
1	पटना	श्री कोसमस मुर्मू, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना।
2	नालन्दा (बिहारशरीफ)	श्री जय प्रकाश, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ(नालन्दा)।
3	आरा	श्री सुजय बिहारी अम्बष्ट, जिला अभियोजन कार्यालय, आरा।
4	बक्सर	श्री मणिशंकर पाण्डेय, जिला अभियोजन कार्यालय, बक्सर।
5	कैमूर(भभुआ)	श्री रणधीर कुमार श्रीरज, जिला अभियोजन कार्यालय, कैमूर(भभुआ)।
6	सासाराम (रोहतास)	श्री अनिल कुमार सिंह, जिला अभियोजन कार्यालय, सासाराम (रोहतास)।
7	गया	श्री अखिलेश कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, गया।
8	जहानाबाद	श्री अवनीश पति त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद।
9	नवादा	श्री राजीव कुमार यादव, जिला अभियोजन कार्यालय, नवादा।
10	औरंगाबाद	श्री नवीन कुमार चतुर्वेदी, जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद।
11	मुंगेर	श्री प्रियव्रत कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, मुंगेर।
12	बेगूसराय	श्री प्रभात प्रसाद कमल, जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय।
13	जमुई	श्री राजीव कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, जमुई।
14	खगड़िया	श्री सुजीत कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, खगड़िया।
15	लखीसराय	श्री जीतेन्द्र कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, लखीसराय।
16	शेखपुरा	श्री संजीव कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा।
17	पूर्णियाँ	श्री अमित कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ।
18	कटिहार	श्री प्रेमजीत कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, कटिहार।
19	किशनगंज	श्री मिथिलेश कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, किशनगंज।
20	अररिया	श्री राजेश कुमार राम, जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया।
21	भागलपुर	श्री अरुण कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, भागलपुर।
22	बांका	मो0 रागीब, जिला अभियोजन कार्यालय, बांका।

d

23	सहरसा	श्री राजकुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, सहरसा।
24	सुपौल	श्री मनोज कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल।
25	मधेपुरा	श्री मनीष कुमार सिंह, जिला अभियोजन कार्यालय, मधेपुरा।
26	दरभंगा	श्री कन्हैया प्रसाद, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा।
27	मधुबनी	श्री नीरज कुमार, जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी।
28	समस्तीपुर	श्रीमती रेखा रश्मि, जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर।
29	मुजफ्फरपुर	श्री संजय कुमार गुप्ता, जिला अभियोजन कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
30	हाजीपुर (वैशाली)	श्री ओमकार नाथ, जिला अभियोजन कार्यालय, हाजीपुर(वैशाली)।
31	बेतिया	श्री उपेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, जिला अभियोजन कार्यालय, बेतिया।
32	सीतामढ़ी	श्री योगेन्द्र प्रसाद, जिला अभियोजन कार्यालय, सीतामढ़ी।
33	शिवहर	श्री धर्मेन्द्र कुमार रमण, जिला अभियोजन कार्यालय, शिवहर।
34	मोतिहारी	श्री राजीव कुमार द्विवेदी, जिला अभियोजन कार्यालय, मोतिहारी।
35	गोपालगंज	श्री सुभाष चन्द्र मंडल, जिला अभियोजन कार्यालय, गोपालगंज।
36	सिवान	श्री पवन कुमार पाण्डेय, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान।
37	सारण(छपरा)	श्री ज्ञानप्रकाश श्रीवारतव, जिला अभियोजन कार्यालय, सारण(छपरा)।
38	अरवल	श्री विवेकानन्द श्रीवारतव, जिला अभियोजन कार्यालय, अरवल।

4. उपर्युक्त नामित सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपने सम्बन्धित जिलों में गठित विशेष न्यायालयों में पैरवी एवं ससमय साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रमादी मिलरों के विरुद्ध लंबित वादों में ससमय पैरवी, जमानत रद्दीकरण एवं उपरान्त अधिपत्र (वारंट) निर्गमन एवं जिन प्रमादी मिलरों द्वारा Deed of Pledge समर्पित किया गया है, उनकी सम्पत्ति की नीलामी हेतु त्वरित कार्रवाई करेंगे।

5. इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/

(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक पत्रांक अ0नि0(01) 21/2020/स्था0.....604.....

दिनांक.....19/03/20...../

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के आप्त सचिव को सूचनाार्थ प्रेषित।

19.03.2020

सरकार के उप सचिव।